न्यायालय अनुमंडल उ०का०, सिमडेगा

[स्थायी रूप से रक्षणीय]

प्रारूप सं० ५६५।

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

Notice upload
15/04/2018

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण।

(रेवेन्यू मैनुअल नियम १२० अनिर्णीत १२१९)

विविध विभाग

SAR06/15-16 ...... रजिस्टर सं०

श्री कुंदन बाखला, कोलेबिरा बनाम श्री लॉरेंस साहू

.... के अधीन

CNT Act U/S 71

अभिलेखागार में आने की तारीख ....

क्रम सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को दाखिल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	न्याय की श्रेणी	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७
			17-7-19	13-12-17		16-5-16
			11-9-19	24-1-18		3-10-16
			13-11-19	28-2-18		26-10-16
			15-4-20	4-4-18		23-11-16
			10/1/2021	16-5-18		21-12-16
			24/3/21	27-6-18		18-1-17
			16-6-2021	8-8-18		15-2-17
			15-09-2021	24-10-18		8-3-17
			24/11/21	12-12-18		5-4-17
			8/2/22	16-01-019		3-5-17
			15/3/22	23-1-19		5-6-17
			8/7/22	27-2-19		5-7-17
			2/8/22	28-5-		9-8-17
			30/9/22			6-9-17
			16-11-22			8-11-17
			13-12-22			29.
			20/1/23			

आदेश पत्रक

(देखे नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक–ता0........................से........................तक

जिला–सिमडेगा, संख्या SAR 06 /2015-16 कुंवर पाथर

केस का प्रकार:– बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969

बनाम

लेटेंग साहु

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई

श्री कुंवर पाथर
पिता स्व० सोमरा पाथर
साकिन कोम्बाकेरा थाना कोलेबिरा
जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी लेटेंग साहु
पिता स्व० आंदु साहु

साकिन–कोम्बाकेरा थाना कोलेबिरा

जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं।

ग्राम	खाता सं0–	प्लॉट सं0	रकबा
कोम्बाकेरा	61	705	0.54 एकड़

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 26-5-2015 को उपस्थापित करें।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सिमडेगा।

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 06/2015–16
दिनांक.....13/12/22.....

कुंवर बाघवार
बनाम
लेटेंग साहू

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक कुंवर बाघवार, पिता–स्व0 सोमरा बाघवार, साकिन–कोम्बाकेरा, थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी लेटेंग साहू, पिता–स्व0 भांडु साहू, साकिन–कोम्बाकेरा, थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–06/2015–16 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
कोम्बाकेरा	61	705	0.54 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, कोलेबिरा को इस न्यायालय के पत्रांक–199/विधि, दिनांक 27.04.2015, पत्रांक–210/विधि, दिनांक 02.06.2016, पत्रांक–249/विधि, दिनांक 08.07.2016 एवं पत्रांक–354/विधि, दिनांक 20.09.2017 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, कोलेबिरा के पत्रांक–567(ii), दिनांक 18.12.2017 द्वारा न्यायालय को प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा–कोम्बाकेरा, खाता नं0–61, प्लॉट नं0–705, रकबा–0.54 एकड़ भूमि पर विपक्षी का मकान सहन एवं खेती के रूप में कब्जा है। विपक्षी का 0.54 एकड़ भूमि पर विगत लगभग 28 वर्षो से कब्जा है। विपक्षी द्वारा 0.20 एकड़ भूमि पर कच्चा मकान का निर्माण किया गया है। जिसकी अनुमानित लागत 225000/–(दो लाख पचीस हजार रूपये) है। मकान विगत लगभग 25 वर्षो से बना है। खतियानी रैयत विशुन खड़िया वल्द बिरसा खड़िया वो टेहनु खड़िया वल्द फुचन खड़िया है। आवेदक खतियानी रैयत का पोता है। पंजी–II रैयत रन्थु खड़िया वगै0 पेशरान सोमरा खड़िया है। प्रश्नगत् भूमि की चौहद्दी निम्नवत है:–

उ0–रास्ता
द0–टांड़, निर्मल डुंगडुंग
पू0–रास्ता
प0–चौरा दिलबर बड़ाईक है।

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। लेकिन उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके।

कृ0पृ0उ0

CamScanner

ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–06/2015–16 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2023.01.18 11:40:04 +05:30
Location: 192.168.188.80

CamScanner